

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट रानीखेत, जिला अल्मोडा।

फौ0 वा0 सं0-284 / 2022

सरकार बनाम पान देव जोशी

26.05.2023: वाद पुकारा गया। पत्रावली प्रस्तुत।

अभियुक्त पान देव जोशी अपने विद्वान अधिवक्ता श्री सी0पी0पाण्डे के साथ न्यायालय में उपस्थित है। अभियोजन की ओर से नामिका अधिवक्ता श्री राजेश आर्या न्यायालय में उपस्थित है।

पत्रावली वास्ते वादी मुकदमा की आख्या /सुनवाई हेतु नियत है।

वादी मुकदमा श्रीमती हंसी जोशी न्यायालय में उपस्थित नहीं है। वादी मुकदमा श्रीमती हंसी जोशी द्वारा दिनांक 01.05.2023 मध्यस्थता केन्द्र अल्मोडा से प्राप्त रिपोर्ट पर अपनी आख्या प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करने की प्रार्थना की गयी थी। वादी मुकदमा को न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक का समय प्रदान किया गया था, परन्तु वादी मुकदमा श्रीमती हंसी जोशी आज न्यायालय में उपस्थित नहीं है, न ही उनके द्वारा न्यायालय में उपस्थित न होने पर कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वादी मुकदमा श्रीमती हंसी जोशी के विरुद्ध नोटिस जारी हो।

पत्रावली दिनांक 09.06.2023 को वास्ते वादी मुकदमा की आख्या /सुनवाई हेतु पेश हो।

(जसमीत कौर)

सिविल जज / न्यायिक मजिस्ट्रेट
रानीखेत।